श्रम विभाग

दिनांक 30 जुलाई, 1984

सं० ओ०वि०/भिवानी/18-82/26873.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज भिवानी टैक्सटाईल मिलज, भिवानी के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/है अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

(1) क्या बुनता विभाग के जोबर हेल्पर वर्ष में दो टैरीकाट की वर्दी के हकदार हैं ? यदि हैं, तो किस विवरण में ?

(2) क्या कारखाना के जमादार कर्मचारी वर्ष 1980-81 और 1981-82 की वार्षिक प्रगति के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में .

(3) क्या कारखाने का प्रत्येक श्रमिक छुट्टी की डुप्लीकेट रसीद लेने का हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

(4) क्या कारखाने के श्रमिक अपने लड़के या लड़की की शादी के अवसर पर प्रबन्धकों से आर्थिक सहायता लेने के हकदार हैं ? जैसे कि प्रबन्धक अन्य स्टाफ कर्मचारियों को यह सुविधा देते हैं ? यदि हैं तो किस विवरण में ?

(5) क्या वर्ष 1980-81 का बोनस जो बांटा गया है उसमें 2 सितम्बर, 1980 के फैसले के मुताबिक जो राशि मजदूरों को दी गई उसका श्रमिकों को बोनस मिलना चाहिए ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

(6) (आंशिक 18-सी) क्या श्रमिक पीरू सिंह पुत्र श्री राम नाथ सिंह, स्पैण्डल फिटर, रिंग विभाग 450/- रुपये मासिक वेतन फिटर पद पर तथा जब से यह कार्य कर रहा है तब से बेतन वृद्धि लेने का हकदार है ? यदि है, तो किस विवरण में ?

सं० ओ.वि./अम्बांला/142-81/26939.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि मैं० मैनेजर हरकल्याण बाईन्डरज एड प्रिन्टिरज, कोठी नं० 30-34 सैक्टर-18, पंचकूला (अम्बाला), के श्रमिकों तथा प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामलें, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामलें) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रमिक श्री सूबे सिंह निलम्बित समय की अवधि में डयूटी पर समझा जाएगा ? और क्या उक्त अवधि के समय का वेतन का हकदार है ? यदि हां, तो किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ. डी/57-84/27122.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि मैं० जय हिन्द इनवैस्टमैंट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, प्लाट नं. 135, सैक्टर-21, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रमिक वर्ष 1982-83 में 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस लेने के हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

एम० सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम तथा रोजगार विभाग ।